



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092021-229542
CG-DL-E-10092021-229542

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3367]
No. 3367]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 10, 2021/भाद्र 19, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 10, 2021/BHADRA 19, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2021

आय-कर

का.आ. 3679(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 197क की उप-धारा (1च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करती है कि एयर इंडिया लिमिटेड (पैन : AACCN6194P) को किए गए किसी भुगतान पर उक्त अधिनियम की धारा 194झक के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी योजना के अधीन एयर इंडिया एसेट होलिंग लिमिटेड (पैन : AAQCA4703M) को स्थावर संपत्ति के अंतरण पर कर की कटौती नहीं की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 106/2021/फा. सं. 370149/158/2021-टीपीएल]

अंकित जैन, अवर सचिव (कर नीति और विधायन)

स्पष्टीकारक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी रूप देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2021

INCOME-TAX

S.O. 3679(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1F) of section 197A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies that no deduction of tax shall be made under section 194-IA of the said Act on any payment made to the Air India Limited (PAN: AACCN6194P) for transfer of immovable property to Air India Assets Holding Limited (PAN: AAQCA4703M) under a plan approved by the Central Government.

2. The notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of April, 2021.

[Notification No. 106 /2021/F. No. 370149/158/2021-TPL]

ANKIT JAIN, Under Secy. (Tax Policy and Legislation)

Explanatory Memorandum : It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.